न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

माता–पिता भरण पोषण अपील संख्याः 01/2026

दायर दिनांकः 27.01.2026

निर्णय दिनांक 06.04.2026

–:अनवानः–

श्री भारती पत्नी हर्षद जी जैन संघराजका उम्र 67 वर्ष निवासी कृष्णा रेजिडेन्सी फ्लेट नम्बर 502 विंग ।।, गोवर्धन, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद

– अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री हर्षद पिता मनसुखलाल जी जैन संघराजका उम्र 67 वर्ष निवासी कृष्णा रेजिडेन्सी फ्लेट नॅम्बर 104, विंग– 11 गोवर्धन, नाथद्वारा हाल निवासी श्रीनाथ कॉलोनी, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।

2. श्री यश पिता हर्षद जी जैन संघराजका उम्र 30 वर्ष निवासी कृष्णा रेजिडेन्सी फ्लेट नॅम्बर 104, विंग 11, गोवर्धन, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद। हाल निवासी श्रीनाथ कालोनी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

– – रेस्पोडेन्टगण

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 13/11/2024 मुकदमा नं. 04/2024 (प्रा. पत्र) न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा बअनवान हर्षद बनाम यश व अन्य

उपस्थितः–

1– श्री मुकेश तिवारी, अधिवक्ता अपीलाण्ट
2– रेस्पोडेण्ट संख्या 1
3– रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनुपस्थित।

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 5 माता पिता अभिभावको एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मै वृद्ध होकर बिमारी से ग्रस्त हूँ विपक्षीगण संख्या एक मेरा पुत्र तथा संख्या दो मेरी पत्नी है। हमारे पहले नमकीन बनाने का व्यवसाय था जिसका हम शामिल मे संचालन करते थे जिस कमाई से तथा कुछ कर्जा लेकर कृष्णा रेजिडेन्सी में एक फ्लेट क्रय

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

किया जिसका विक्रय पत्र विपक्षी संख्या एक व दो के नाम करवाया था अब प्रार्थी की कोई घर मे इज्जत नहीं करता है तथा दवाईयों व भरण पोषण के लिए पैसा भी नहीं देते है लडाई झगडा करते है, पूर्व 2023 में लडाई झगडा किया। जिस पर पुलिस थाना नाथद्वारा में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई जिससे विपक्षीगण ने 10,000 रूपया प्रतिमाह एवं भोजन व एक कमरा व पुरा सम्मान के साथ रखने को कहकर राजीनामा करवाया। जिससे प्रार्थी ने आगे कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की विपक्षीगण ने केवल एक माह की राशी अदा की है उसके बाद अदा नहीं की है प्रार्थी बिल्कुल असहाय हो गया है। परिवार में कोई इज्जत भी नहीं की जा रही है असमानता का व्यवहार किया जा रहा है। जिससे प्रार्थी अपने आप को अक्षम महसुस करने लगे तथा अपना जीवन ही समाप्त करने के बारे में सोचने लगे इसलिये विपक्षीगण से प्रार्थी को प्रतिमाह 10,000 रूपया तथा निवास हेतु फ्लेट मे एक कमरा दिलाया जाना आवश्यक है जो दिलाना फरमावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जिनकी तामील के पश्चात विपक्षी द्वारा दिनांक 25.10.2024 को लिखित जबाब पेश किया जिसमे बताया प्रार्थी आज भी कार्य करने की स्थिति में है। विपक्षीगण द्वारा अपने स्वयं के द्वारा कमाई गई आय तथा पंजाब नेशनल बैंक शाखा नाथद्वारा से ऋण प्राप्त कर में पलेट क्रय किया है बैंक कि किस्ते नियमित अदा नहीं करने के कारण उक्त फ्लेट को निलामी का नोटिस भी मेरे पास आया है जिससे कुछ किस्ते विपक्षीगण द्वारा जैसे तैसे करके जमा करवाई अभी भी लगभग 23,00,000 रूपया के अधिक की रकम बैंक में बकाया है। प्रार्थी का कहना परिवार में कोई इज्जत को लेकर मिथ्या होकर मनगढ़त है। प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य दिनांक 28.08.2024 को अभिस्वीकृति विलेख/राजीनामा निष्पादित किया गया जिसके अन्तर्गत दोनो पक्षकारों के मध्य यह निश्चित हुआ कि बैंक की किस्ते समय पर अदा नहीं करने के कारण पलेट को विक्रय कर बैंक कि रकम जमा करवा दी जावे व शेष रकम मेसे 1/3 प्रार्थी को एवं 1/3 विपक्षी संख्या 01 को व 1ध्3 हिस्सा विपक्षी संख्या 02 के हिस्से में रहेगा तथा माननीय न्यायालय का प्रार्थना पत्र विड्रो कर लेगा तथा आगे कोई कार्यवाही नहीं करेगा इसके बाद भी प्रार्थी ने छल कपट धौखाधड़ी करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र विड्रो नहीं किया है। प्रार्थी विपक्षीगण के साथ निरन्तर मारपीट करता है घर के रखे सामानों को तोडफोड करता है जान से मारने व मरने की धमकी देता है। प्रार्थी ने व्यापारीयों से पेसा उधार ले रखा है जिसकी बार बार मांग व्यापारीयों द्वारा मुझसे की जाती है। विपक्षीगण के पास आया का कोई स्त्रोत नहीं है एक मात्र रहने के लिये फ्लेट है वह भी बैंक की निलामी में आ गया है जिससे विपक्षीगण का जीना दुर्भर हो गया है। प्रार्थना पत्र विपक्षीगण के विरूद्ध सव्यय निरस्त फरमाया जावे। विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश सर्वथा विधि व तथ्यों के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य पर कोई गौर न कर उक्त आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल कारित की है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकृट हुए कि अपीलांट के नाम पर मकान था, जिसका अपीलांट के द्वारा विक्रय किया गया, उसमें से भी रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा 1/3

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

हक व हिस्सा ले लिया और इसके साथ ही रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट के साथ मारपीट करता, उसे डराता धमकाता उक्त तथ्य पर गोर न कर उक्त आलोच्य आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल कारित की है। अपीलांट वृद्ध होकर घरेलु महिला है, जिसके पास में आय का कोई साधन नहीं है। उक्त तथ्य पर गोर न कर उक्त आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। यह सर्वविदित है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 को अपीलांट के भरण पोषण देखभाल की जिम्मेदारी करने का विधिक एवं नैतिक कर्तव्य है। उसके बावजुद भी उक्त आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल कारित की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की साक्ष्य व दस्तावेज का अवलोकन करने में भारी भूल की है। प्रार्थी/रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में अपने साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से पूर्णतया प्रार्थना पत्र साबित नहीं कराया। रेस्पोंडेंट संख्या 1 के द्वारा दिये गये बयानों में विरोधाभाषी तथ्यों व प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्य पर गोर न फरमा समझने में भारी भूल की है। साक्ष्य को अधिनस्थ न्यायालय ने समझने में भारी भूल की है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 13.11.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 स्वयं उपस्थिति तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश सर्वथा विधि व तथ्यों के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य पर कोई गौर न कर उक्त आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल कारित की है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट हुए कि अपीलांट के नाम पर मकान था, जिसका अपीलांट के द्वारा विक्रय किया गया, उसमें से भी रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा 1/3 हक व हिस्सा ले लिया और इसके साथ ही रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट के साथ मारपीट करता, उसे डराता धमकाता उक्त तथ्य पर गोर न कर उक्त आलोच्य आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल कारित की है। अपीलांट वृद्ध होकर घरेलु महिला है, जिसके पास में आय का कोई साधन नहीं है। उक्त तथ्य पर गोर न कर उक्त आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। यह सर्वविदित है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 को अपीलांट के भरण पोषण देखभाल की जिम्मेदारी करने का विधिक एवं नैतिक कर्तव्य है। उसके बावजुद भी उक्त आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल कारित की है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 के द्वारा दिये गये बयानों में विरोधाभाषी तथ्यों व प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्य पर गोर न फरमा समझने में भारी भूल की है। अतः श्रीमान् से निवेदन

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 13.11.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया जाकर समुचित न्यायिक प्रक्रिया की पालना करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट एक वृद्ध पुरूष है, रेस्पोडेन्ट के संतान होने के बावजूद अपीलान्ट तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 02 द्वारा मुझको बेसहारा छोड़ रखा है जिसके कारण उसे अन्यत्र किराये के मकान में रहना पड़ रहा है तथा उनके द्वारा मेरा भरण पोषण नहीं किया जा रहा है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो गुजारा भत्ता निर्धारित किया था उसका भुगतान भी नही किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से उक्त अपील को खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी तथा अप्रार्थी की बहस पर विचार किया। इसके साथ ही भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों का भी अध्ययन किया। अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बालक के अंतर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री को सम्मिलित किया गया है, किंतु इसमें कोई अवयस्क सम्मिलित नहीं है। साथ ही नातेदार से तात्पर्य निःसंतान वरिष्ठ नागरिक का कोई विधिक वारिस अभिप्रेत है, जो कि अवयस्क नहीं है तथा जो माता–पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी संपत्ति में हक प्राप्त करता हो। साथ ही इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन प्रकरण बालकों या नातेदारों के विरुद्ध ही चल सकता है। परंतु इस प्रकरण में मैंने यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय, न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा द्वारा जो आदेश दिया गया है, वह श्रीमती भारती पत्नी हर्षद जैन, जो कि इस प्रकरण में अपीलान्ट है, जो स्वयं ही रिस्पोंडेंट संख्या 01 की पत्नी है, उसके विरुद्ध भी रूपये 2500 प्रतिमाह घरेलू खर्च, गुजारा भत्ता के रूप में दिए जाने का आदेश दिया गया है। तो जो स्वयं ही एक वरिष्ठ नागरिक हो, स्वयं ही माता–पिता हो, तो उसके विरुद्ध भरण–पोषण अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का आदेश दिया जाना अनुचित है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि इस प्रकार का कोई भरण–पोषण का आदेश दिया जा सकता है, तो वह बालक अथवा नातेदार को ही दिया जा सकता है।तो यहाँ स्पष्ट है कि बालक का आशय पुत्र, पौत्र, पुत्री आदि है और नातेदार का आशय उस उत्तराधिकारी से है, जो कि माता–पिता के या वरिष्ठ नागरिकों के निःसंतान होने पर उनकी संपत्ति का हकदार हो।

अतः यहाँ अपीलान्ट के विरुद्ध जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह विधिक प्रावधानों के विरुद्ध है और निरस्त योग्य है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाता है परंतु साथ ही रेस्पोंडेंट संख्या 1, जो कि स्वयं एक वरिष्ठ नागरिक है और रेस्पोंडेंट संख्या 2 का पिता है, उसकी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो अवार्ड, जो गुजारे भत्ते का आदेश उपखंड मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा द्वारा पारित किया गया है, उसकी राशि 5000/– उपयुक्त प्रतीत होती है। अतः इस विवेचन के फलस्वरूप मैं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने का आदेश देता हूँ। कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 श्री हर्षद, जो कि रेस्पोंडेंट संख्या 02 के पिता हैं, को माह दिसंबर, 2024 से 5000/– प्रतिमाह घरेलू खर्च (जीवनयापन की आवश्यकता के लिए मेंटेनेंस अलाउंस) हेतु प्रत्येक माह की 10 तारीख तक नकद देकर पावती रखेंगे और प्रार्थी श्री हर्षद, जो कि इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट संख्या 1 है, को ससम्मान रखेंगे।

यदि रेस्पोंडेंट संख्या 2, जो कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 श्री हर्षद के पुत्र हैं, इस निर्णय की पालना नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम की धारा 5(8) तथा 11 के तहत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। अभी तक जो राशि का भुगतान नहीं किया गया है, उसका 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान भी रेस्पोंडेंट संख्या 2 को रेस्पोंडेंट संख्या 1 को किया जाएगा।

आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति रेस्पोंडेंट संख्या 2 श्री यश पिता हर्ष जैन को तामील कराई जाए। निर्णय की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट नाथद्वारा तथा तहसीलदार नाथद्वारा को भिजवाई जावें।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 06.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद